नगर निगम जयपुर, हैरिटेज

(पुराना पुलिस मुख्यालय, हवामहल के पास)

क्रमांक :– एफ 13 ( ) उपा.आयो. / ननिज. / 2020 / 3598 दिनांक:– 18/02/22

श्री प्रदीप शंकर माथुर एवं जयदीप माथुर
भूखण्ड संख्या सी–33 सी–स्कीम, जयपुर

विषय :–भूखण्ड संख्या सी–33 सी–स्कीम, जयपुर पर बहु मंजिला आवासीय फ्लैट्स भवन निर्माण स्वीकृति बाबत्।

आप द्वारा प्रस्तुत मानचित्र क्षेत्रफल (LB+UB+S+11 Floor) तल 40.00 मीटर उँचाई के प्रस्तुत कर निर्माण स्वीकृर्ति हेतु आवेदन किया गया है। जिसके कम में सक्षम समिति के निर्णय दिनांक 04.06.2021 की अनुपालना में एजेण्डा में वर्णित पैरामीटर्स के अनुसार (LB+UB+S+11 Floor) तल कुल 40.00 मीटर ऊँचाई के आवासीय भवन निर्माण मानचित्र निम्नांकित शर्तों के साथ अनुमोदित कर जारी किये जाते है:–

1. उक्त स्वीकृति जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर (जयपुर रीजन भवन) भवन विनियम 2020 के तहत् जारी की गई है।
2. एकीकृत भवन विनियम, 2020 के अनुसार उक्त स्वीकृति जारी दिनांक से सात वर्ष के लिए मान्य होगी।
3. उक्त स्वीकृति निम्नानुसार दी गई है :–

(1)	(2)
सैट बैक (न्यूनतम)	प्रस्तुत मानचित्र अनुसार
अग्र प्रथम	15.25 मीटर
अग्र द्वितीय	9.18 मीटर
साईड प्रथम	9.18 मीटर
साईड द्वितीय	9.18 मीटर
ऊँचाई	36.60 मीटर
मंजिल	(LB+UB+S+11 Floor)
बेसमेन्ट	02 प्रस्तावित पार्किंग हेतु
आच्छादन	सैट बैक क्षेत्र के अन्दर
बी.ए.आर	3.71

4. नगर निगम जयपुर द्वारा निर्माण स्वीकृति को स्वामित्व का आधार नहीं माना जायेगा और न ही इसमें किसी के स्वामित्व संबंधी अधिकार ही प्रभावित होंगे एवं विवादित स्वामित्व की भूमि पर दिये गये निर्माण स्वीकृति के लिए जयपुर नगर निगम जिम्मेदार नहीं होगा, क्योंकि निर्माण स्वीकृति केवल मात्र प्रश्नगत भूमि पर क्या निर्माण किया जा सकता है, अथवा अनुज्ञेय है, यही दर्शाता है।
5. भवन निर्माण में निर्धारित मानदण्डों के उल्लंघन होने या निर्माण मानक स्तर के अनुरूप नहीं होने पर निर्माण को रोका जा सकता है। इसे आंशिक या पूर्ण रूप ध्वस्त कराया जा सकेगा एवं ऐसे समस्त निर्माण की जिम्मेदारी अनुज्ञाधारी की होगी। अनुमोदित मानचित्रों से भिन्न निर्माण करने पर अनुमोदन स्वतः निरस्त समझा जावेगा व किया गया या समस्त निर्माण अवैध निर्माण की श्रेणी में गिना जावेगा।
6. भवन का उपयोग स्वीकृत उपयोग से भिन्न होने पर निर्माण स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
7. गलत तथ्यों पर प्राप्त की गई अथवा तथ्यों को छुपाकर प्राप्त की गई स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी एवं ऐसी निर्माण स्वीकृति प्राप्त होने के लिए आवेदन कर्ता को दोषी माना जायेगा। नगर निगम, जयपुर राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के तहत् कार्यवाही करने को स्वतंत्र होगा।
8. विद्युत, नलकारी जल एवं मल निकास सेवायें हेतु नेशनल बिल्डिंग कोड इण्डिया के आबंधों में वर्णित प्रावधानों का पालन आवश्यक होगा।
9. अनुमोदनानुसार वर्षा जल संग्रहण यूनिट मौके पर वास्तव में आप द्वारा लगाई जावेगी।
10. अनुमोदनानुसार सौर ऊर्जा उपकरण सिस्टम मौके पर वास्तव में आप द्वारा लगाया जावेगा।
11. आवेदक द्वारा प्रस्तुत मानचित्र में बी.ए.आर. 4.21 प्रस्तुत किया गया समिति के निर्णयानुसार वर्तमान मे स्वीकृति 40.00 मीटर (स्टील्ट सहीत) उँचाई तथा 3.71 बी.ए.आर. की जारी की जा रही है आवेदक द्वारा राशि समस्त 4.21 बी.ए.आर. की जमा कराई गई है। शेष बी.ए.आर. / उचाई की स्वीकृति राज्य सरकार की स्वीकृति उपरान्त तदानुसार जारी की जावेगी।

12. भवन निर्माण में आंतरिक मानदण्ड बाबत् जिन विषयों पर ब्यौरा यहॉ नहीं दिया गया है, उन बाबत् मानदण्ड नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के उपबंधों के अनुसार होगें।
13. भवन का संरचनात्मक अभिकल्पन एवं सुरक्षा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के उपबंधों के अनुसार होगा।
14. आवेदक स्वयं की यह जिम्मेदारी होगी कि उनके द्वारा भवन विनियमों के समस्त संबंधित प्रावधानों की पालना भवन निर्माण के दौरान की जा रही है। अन्यथा यह स्वीकृति स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी।
15. अनुमोदित मानचित्रों में जिस भाग को पार्किंग हेतु अनुमोदित किया है आप द्वारा किसी को बेचा नहीं जावेगा एवं केवल पार्किंग हेतु उपयोग में लिया जावेगा। इसका पार्किंग के अलावा अन्य उपयोग पाने पर जयपुर नगर निगम बिना किसी सूचना के तोडने का हकदार होगा एवं तोडने का हर्जा खर्चा जिस व्यक्ति ने पार्किंग के अलावा उपयोग किया है से वसूला जा सकता है। उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करने पर जयपुर नगर निगम हर्जा खर्चा वसूलने एवं अन्य दण्डात्मक कार्यवाही जैसे आर्थिक दण्ड कर सकता है एवं आप देने के लिए बाध्य रहेगें।
16. भवन में सुरक्षा एवं निकास प्लान (Escape plan) का नक्शा भी मौके पर प्रदर्शित (क्पेचसंल) करवाया जाना आवश्यक होगा।
17. बेसमेन्ट में पर्याप्त वातायन एवं रोशनी की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी एवं ज्वलनशील पदार्थ या हानिकारक माल के भण्डार हेतु या अन्य कोई गतिविधि जो कि भवन में रहने वालों के लिये परिसंकट मय या हानिकारक हो, के उपयोग मे नहीं करेगा।
18. भवन मालिक की यह जिम्मेदारी होगी कि वह भवन का निर्माण प्रारंभ होने पर बिल्डिंग का नक्शा, सुरक्षा एवं निकास प्लान (Escape plan) निर्माण स्थल पर चस्पा कर प्रदर्शित करेगे साथ ही मौके पर जिम्मेदार व्यक्ति से सम्पर्क हेतु उसका सम्पर्क दूरभाष नम्बर बोर्ड पर साईड पर उलब्ध करवाया जायेगा एवं सम्बन्धित दूरभाष नम्बर सम्बन्धित थाने में भी उपलब्ध करवाया जावेगा, ताकि किसी भी दुर्घटना की स्थिति में बचाव कार्य प्रभावी रूपसे किया जा सके।
19. प्रार्थी द्वारा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की सभी शर्तों की पालना की जावेगी।
20. निदेशालय, स्थानीय निकाय के पत्र क्रमांक एफ 55 (22) पीए/एस.ई./डीएलबी/ 05/आपदा/18726 दिनांक 18.05.05 द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार भूकम्परोधी भवन बनाने की जिम्मेदारी प्रार्थी की होगी।
21. भवन निर्माण के दौरान श्रमिकों हेतु अस्थाई शौचालय/यूरीनल की व्यवस्था आपके स्तर से सुनिश्चित की जावें।
22. भवन विनियम 8.11.4 ii के अनुसार भूखण्ड पर कचरा पात्र रखना होगा।
23. अग्निशमन का प्रावधान नेशनल बिल्डिंग कोड के प्रावधान अनुसार सुनिश्चित किया जावे।
24. Rera Act. एवं Rules व Apartment Ownership Act एवं Rules के समस्त प्रावधानों की पालना सुनिचित की जानी होगी।

दिशा–निर्देशों की प्रति संलग्न है।

संलग्नः– भवन मानचित्र का एक सैट
(कुल पॉच मानचित्र)

(सुरेन्द्र सिंह यादव)
उपायुक्त (आयोजना प्रथम)
नगर निगम, जयपुर हैरिटेज

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ–

1. **उपायुक्त, सिविल लाईन जोन नगर निगम, जयपुर को अनुमोदित भवन मानचित्रों का एक सैट संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।**

संलग्न :– भवन मानचित्र का एक सैट
(कुल तीन मानचित्र)

उपायुक्त (आयोजना प्रथम)
नगर निगम, जयपुर हैरिटेज

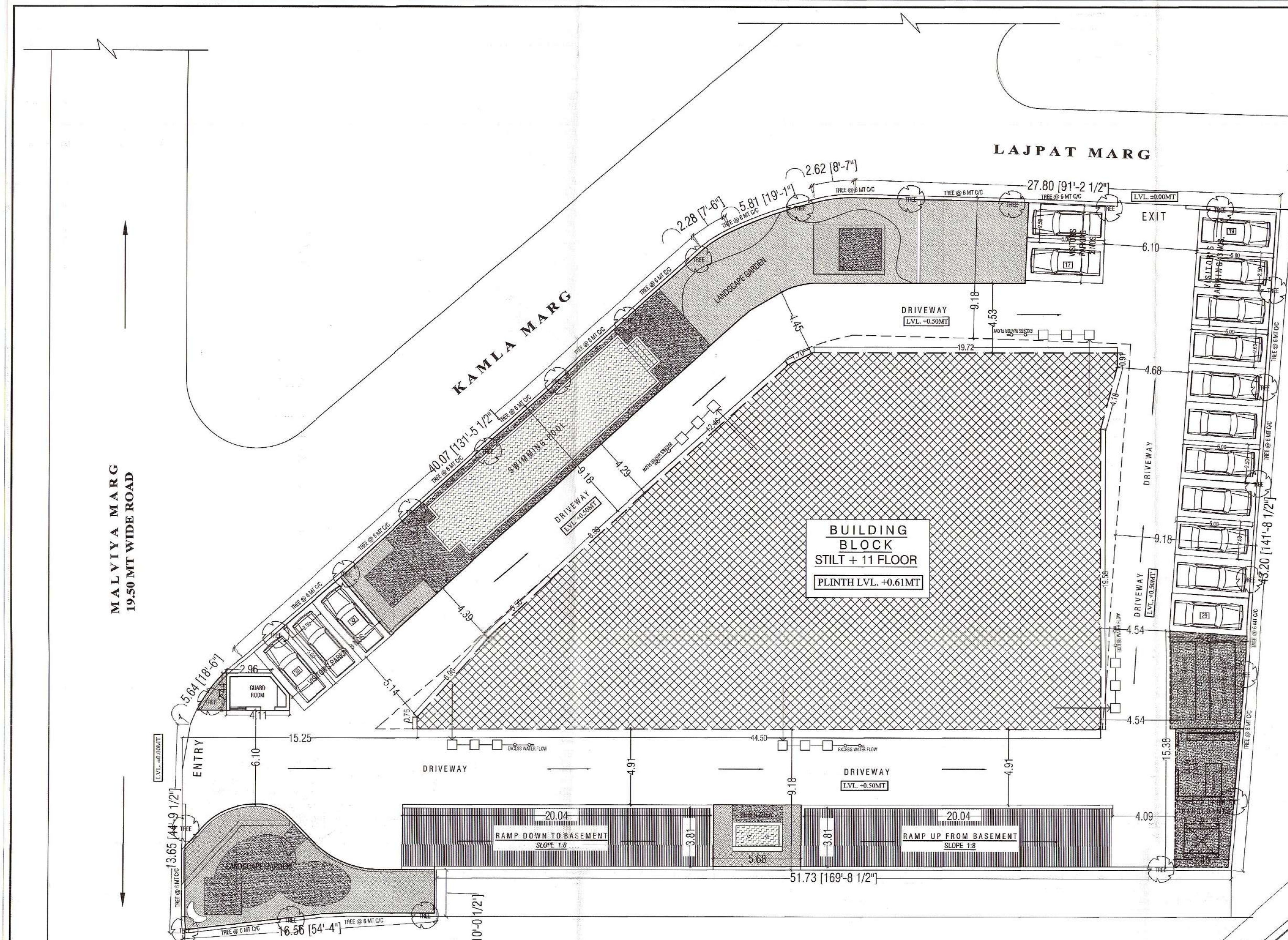

SITE PLAN
1:200

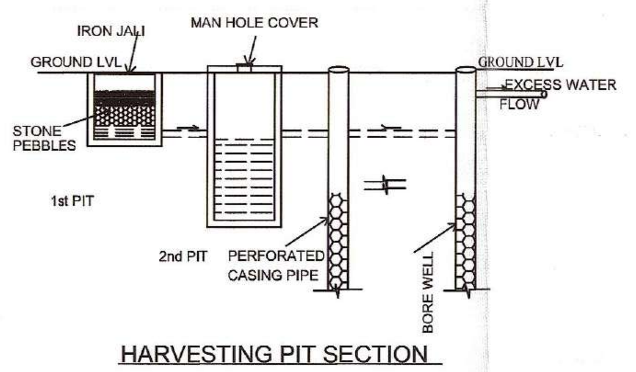

HARVESTING PIT SECTION

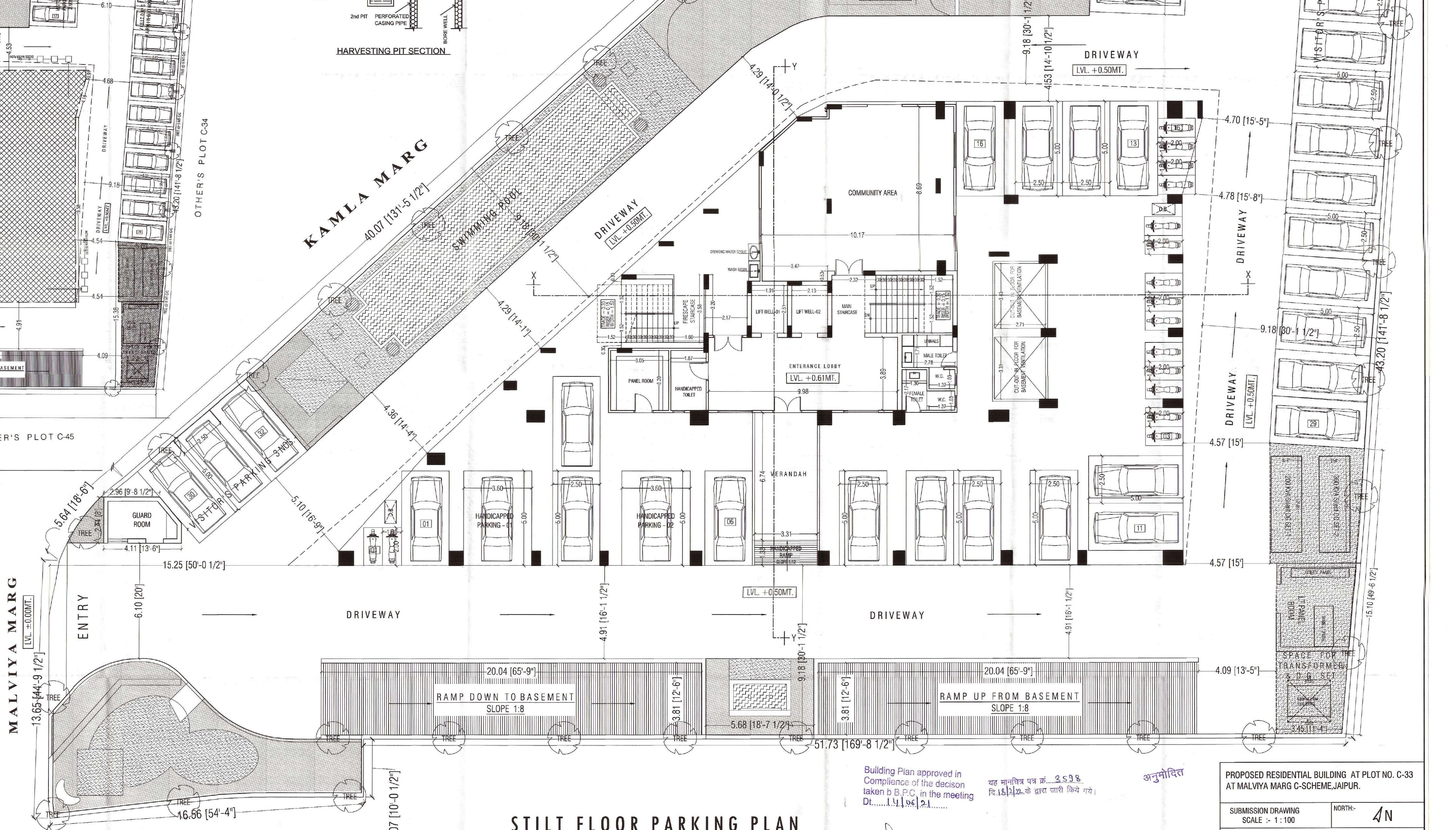

STILT FLOOR PARKING PLAN

PLOT AREA = 2516.44 SQ.MT.
PERMISSIBLE B.A.R. = 2.0
THEN PER. B.A.R. AREA = 2.0 X 2516.44 = 5032.88 SQ.MT.
TOTAL CONSUMED B.A.R. AREA = 9731.68 SQ.MT.(3.86%)
THEN EXTRA PURCHASABLE B.A.R. AREA = 9731.68 - 5032.88 = 4698.80 SQ.MT.
CONSUMED GROUND COVERAGE = (869.81 /2516.44)X100 = 34.56%
PERMISSIBLE MAXIMUM BUILDING HEIGHT = 36.72 MT
ACHIEVED BUILDING HEIGHT = 33.33 MT.
PROVIDED COMMUNITY/FACILITY AREA ON STILT = 214.92 MT. (26.58%)
REQUIRED LANDSCAPE AREA (10%) = 2516.44 X 10% = 251.64 SQ.MT.
PROVIDED LANDSCAPE AREA = 372.66 SQ.MT.

REQUIRED PARKING :-

PARKING FOR RESIDENTIAL = 9731.68/115 = 84.62 E.C.U.
ADD 10% VISITORS PARKING = 84.62 X 1.10 = 93.08 E.C.U.
75% REQUIRED CAR PARKING = 93.08 X 0.75 = 69.81 E.C.U. SAY 70 CARS
REST REQ. SCOOTERS PARKING = 93.08 - 70 = 23.08 E.C.U. SAY 70 SCOOTERS

PROVIDED PARKING :-

PARKING ON STILT FLOOR:-
CARS = 16 = 16 E.C.U.
SCOOTERS = 16/3 = 5.33 E.C.U.
PARKING IN OPEN AREA = 16 CAR = 16 E.C.U.

PARKING IN UPPER BASEMENT:-
CARS = 31 = 31 E.C.U.
SCOOTERS = 8/3 = 2.66 E.C.U.

PARKING IN LOWER BASEMENT:-
CARS = 34 = 34 E.C.U.
SCOOTERS = 8/3 = 2.66 E.C.U.

TOTAL PROVIDED PARKING = 16 + 5.33 + 16 + 31 + 2.66 + 34 + 2.66 = 107.65 E.C.U.(97 CARS & 32 SCOOTERS)

S. NO.	FLOOR	BLOCK AREA SQ.MT.	DEDUCTION	GROSS BUILT-UP SQ.MT.	DEDUCTION				BUILT-UP AREA SQ.MT.
			CUT-OUTS		FIRESCAPE	LIFT WELL	CHHAJA'S	OTHER'S	
01	LOWER BASEMENT	1449.65	---	1449.65	---	---	---	1449.65(parking floor)	---
02	UPPER BASEMENT	1594.29	---	1594.29	---	---	---	1594.29(parking floor)	---
03	STILT FLOOR	808.44	18.24	790.20	17.85	9.58	---	575.27(parking)	187.50
04	FIRST FLOOR	943.43	25.80	917.63	17.19	9.58	19.29	1.76(services)	869.81
05	SECOND FLOOR	943.43	26.96	916.47	17.19	9.58	19.29	1.76(services)	868.65
06	THIRD FLOOR	943.43	26.96	916.47	17.19	9.58	19.29	1.76(services)	868.65
07	FOURTH FLOOR	943.43	26.96	916.47	17.19	9.58	19.29	1.76(services)	868.65
08	FIFTH FLOOR	943.43	26.96	916.47	17.19	9.58	19.29	1.76(services)	868.65
09	SIXTH FLOOR	943.43	26.96	916.47	17.19	9.58	19.29	1.76(services)	868.65
10	SEVENTH FLOOR	943.43	26.96	916.47	17.19	9.58	19.29	1.76(services)	868.65
11	EIGHT FLOOR	943.43	26.96	916.47	17.19	9.58	19.29	1.76(services)	868.65
12	NINTH FLOOR	952.20	26.96	925.24	17.19	9.58	19.29	1.76 + 20.90 (services+refuge area)	856.52
13	TENTH FLOOR	943.43	26.96	916.47	17.19	9.58	19.29	1.76(services)	868.65
14	ELEVENTH FLOOR	943.43	26.96	916.47	17.19	9.58	19.29	1.76(services)	868.65
15	TERRACE	66.93	---	66.93	---	---	---	66.93(mumty)	---
TOTAL		14305.81	313.64	13992.17	206.94	114.96	212.19	3726.40	9731.68

THEN TOTAL CONSUMED B.A.R. AREA = 9731.68 SQ.MT.

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी भांति प्रश्नगत भूमि/भूखण्डों के प्रति स्वामित्व का प्रमाण पत्र नहीं माना जावेगा और न ही इसमें किसी प्रकार के स्वामित्व सम्बन्धी अधिकार ही प्रमाणित होंगे।

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल पार्किंग हेतु किया जावेगा।

THESE PLANS ARE VALID ONLY UPTO SEVEN YEARS FORM DATE OF ISSUE

विद्युत सेवा, नलकारी एवं जल, मल विकास सेवाएँ नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के उपबंधों के अनुसार की जावेगी।

Rain Water Harversting Units shall be proveded as per rules

FIRE SAFETY PROVISIONS SHALL BE KEPT AS PER NATIONAL BUILDING CODE

Adepuate Light and Ventilation to ne provided as pr N.B.C Norms

"जारी किये गये अनुमोदित मानचित्रों में दर्शाये गये भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE) का दायित्व प्रार्थी की ही होगा।"

Building Plan approved in Complience of the decison taken b B.P.C. in the meeting Dt. 14/06/21

यह मानचित्र पत्र क्रं 3598 दि. 18/2/22 के द्वारा जारी किये गये।

अनुमोदित

सहायक नगर नियोजक
नगर निगम जयपुर हैरिटेज

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
नगर निगम जयपुर, हैरिटेज

उपायुक्त (आयोजना)
नगर निगम जयपुर हैरिटेज

PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING AT PLOT NO. C-33 AT MALVIYA MARG C-SCHEME,JAIPUR.

SUBMISSION DRAWING
SCALE :- 1 : 100

NORTH:- N

DRAWING TITLE - SITE PLAN & STILT FLOOR PARKING PLAN

OWNER

ARCHITECT
ASHOK MISHRA Ph. 2229771
B.Arch., M.C.A.
C.A./91/13916
95, Shivaji Nagar, Civil Lines
JAIPUR

SHEET NO. - 02

FIRST FLOOR PLAN

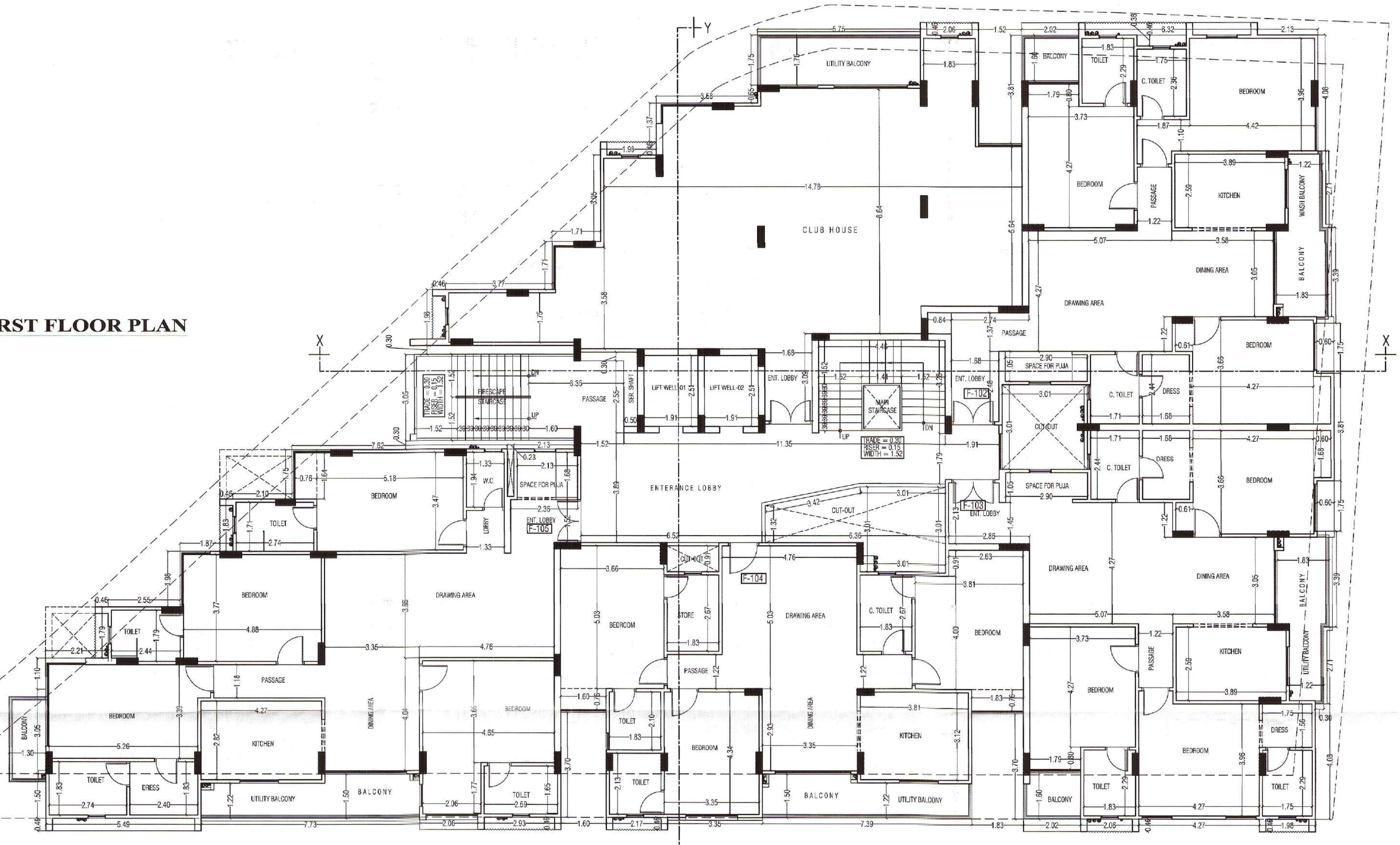

TYPICAL FLOOR PLAN
(2ND TO 8TH,10TH TO 11TH FLOOR)

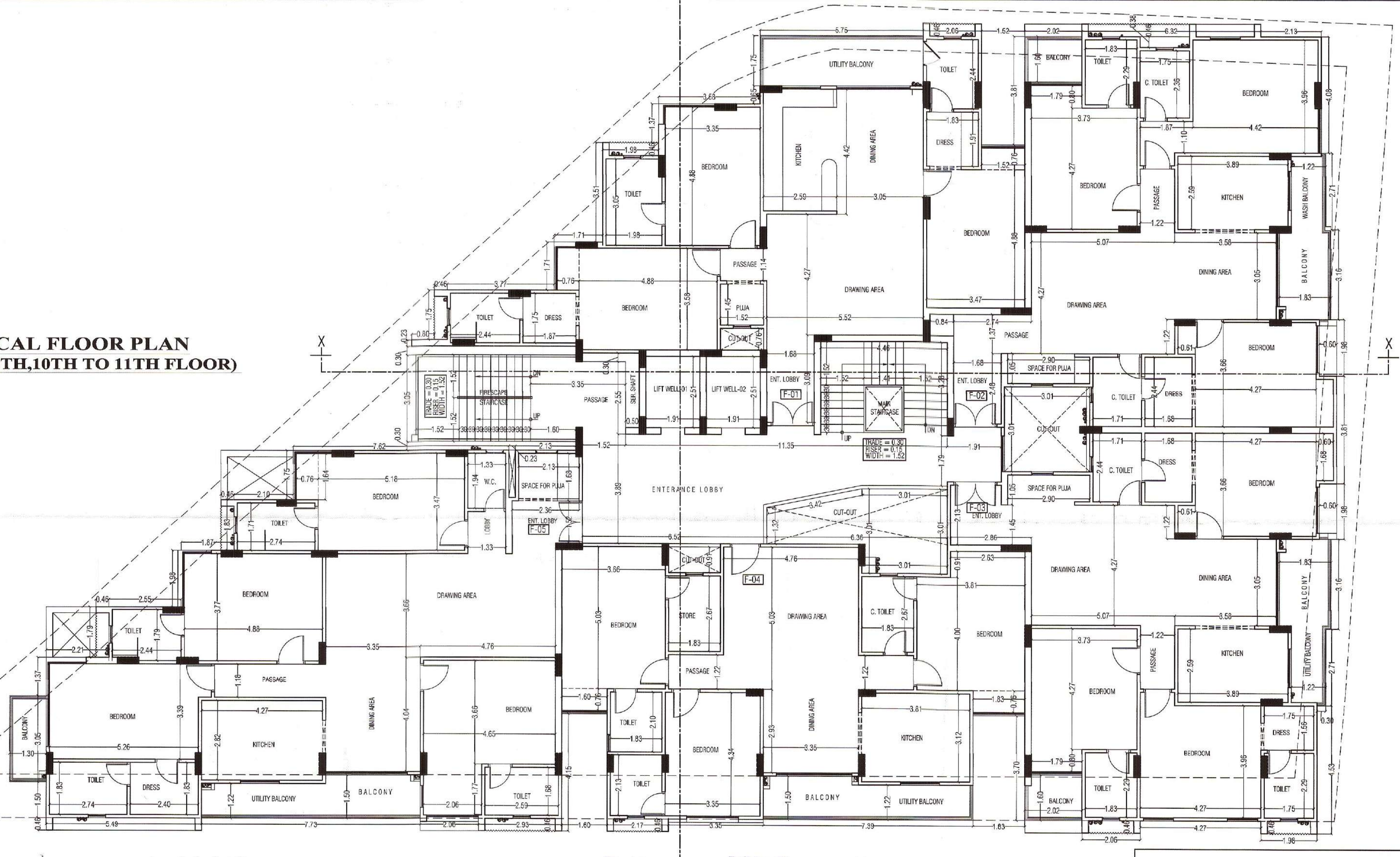

"जारी किये गये अनुमोदित मानचित्रों में दर्शाये गये भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE) का दायित्व प्रार्थी का ही होगा।"

FIRE SAFETY PROVISIONS SHALL BE KEPT AS PER NATIONAL BUILDING CODE

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी भांति प्रश्नगत भूमि/भूखण्डों के प्रति स्वामित्व का प्रमाण पत्र नहीं माना जावेगा और न ही इसमें किसी प्रकार के स्वामित्व सम्बन्धी अधिकार ही प्रमाणित होगें।

विद्युत सेवा, नलकारी एवं जल, मल विकास सेवाएँ नेशनल बिल्डिंग कॉड ऑफ इण्डिया के उपबंधो के अनुसार की जावेगी।

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल पार्किंग हेतु किया जावेगा।

Rain Water Harversting Units shall be proveded as per rules

THESE PLANS ARE VALID ONLY UPTO SEVEN YEARS FORM DATE OF ISSUE

Adepuate Light and Ventilation to ne provided as pr N.B.C Norms

अनुमोदित

Building Plan approved in Complience of the decison taken b B.P.C. in the meeting Dt. 14/06/2021

यह मानचित्र पत्र क्रं. 3598 दि. 18/02/22 द्वारा जारी किये गये।

सहायक नगर नियोजक
नगर निगम जयपुर हैरिटेज

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
नगर निगम जयपुर हैरिटेज

उपायुक्त (आयोजना)
नगर निगम जयपुर हैरिटेज

PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING AT PLOT NO. C-33 AT MALVIYA MARG C-SCHEME,JAIPUR.

SUBMISSION DRAWING
SCALE :- 1 : 100

NORTH:- N

DRAWING TITLE -
FIRST & TYPICAL FLOOR PLAN

OWNER

ARCHITECT

ASHOK MISHRA Ph. 2229771
B.Arch., M.C.A.
C.A./91/13916
95, Shivaji Nagar, Civil Lines
JAIPUR

NINTH FLOOR PLAN

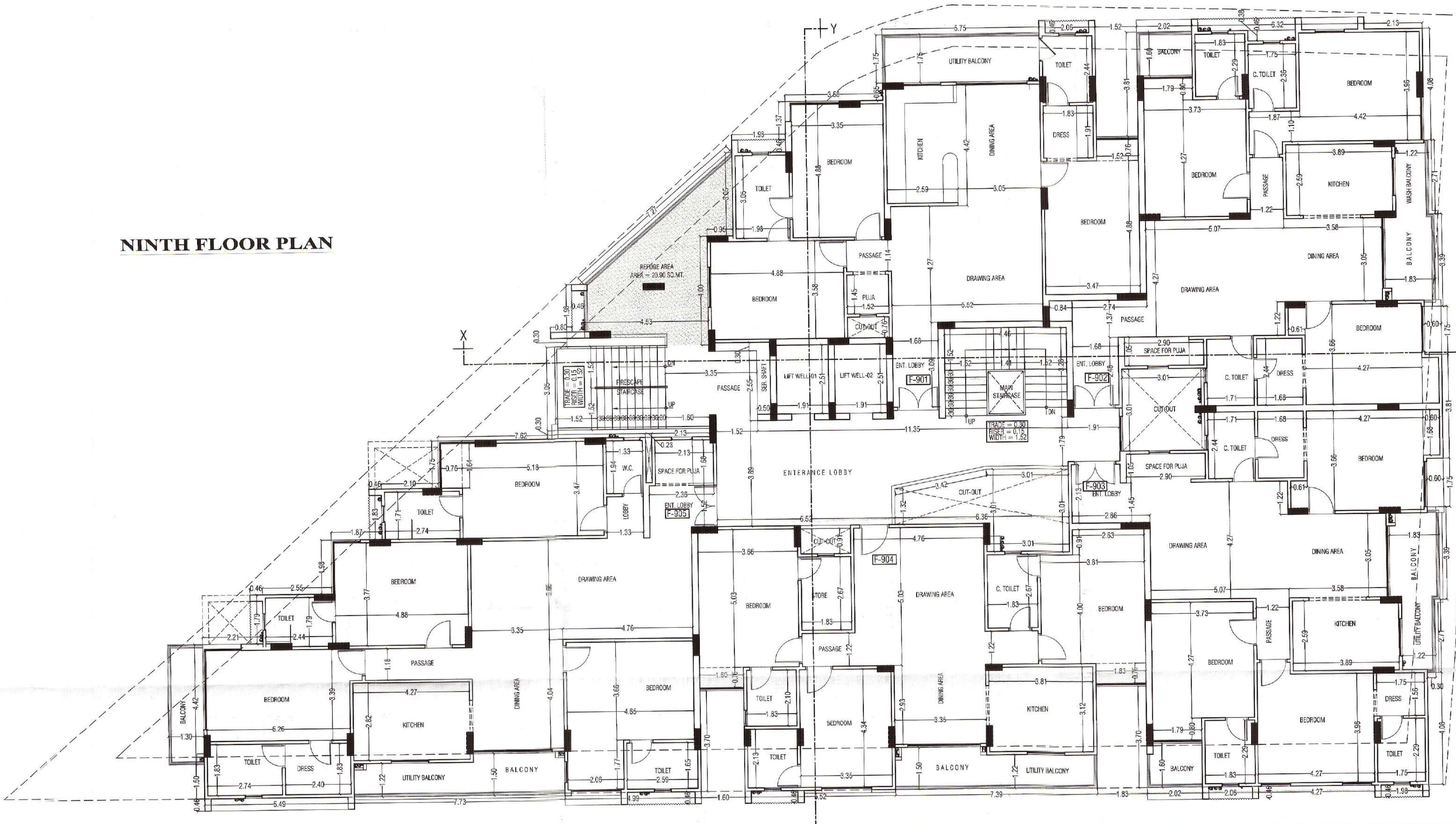

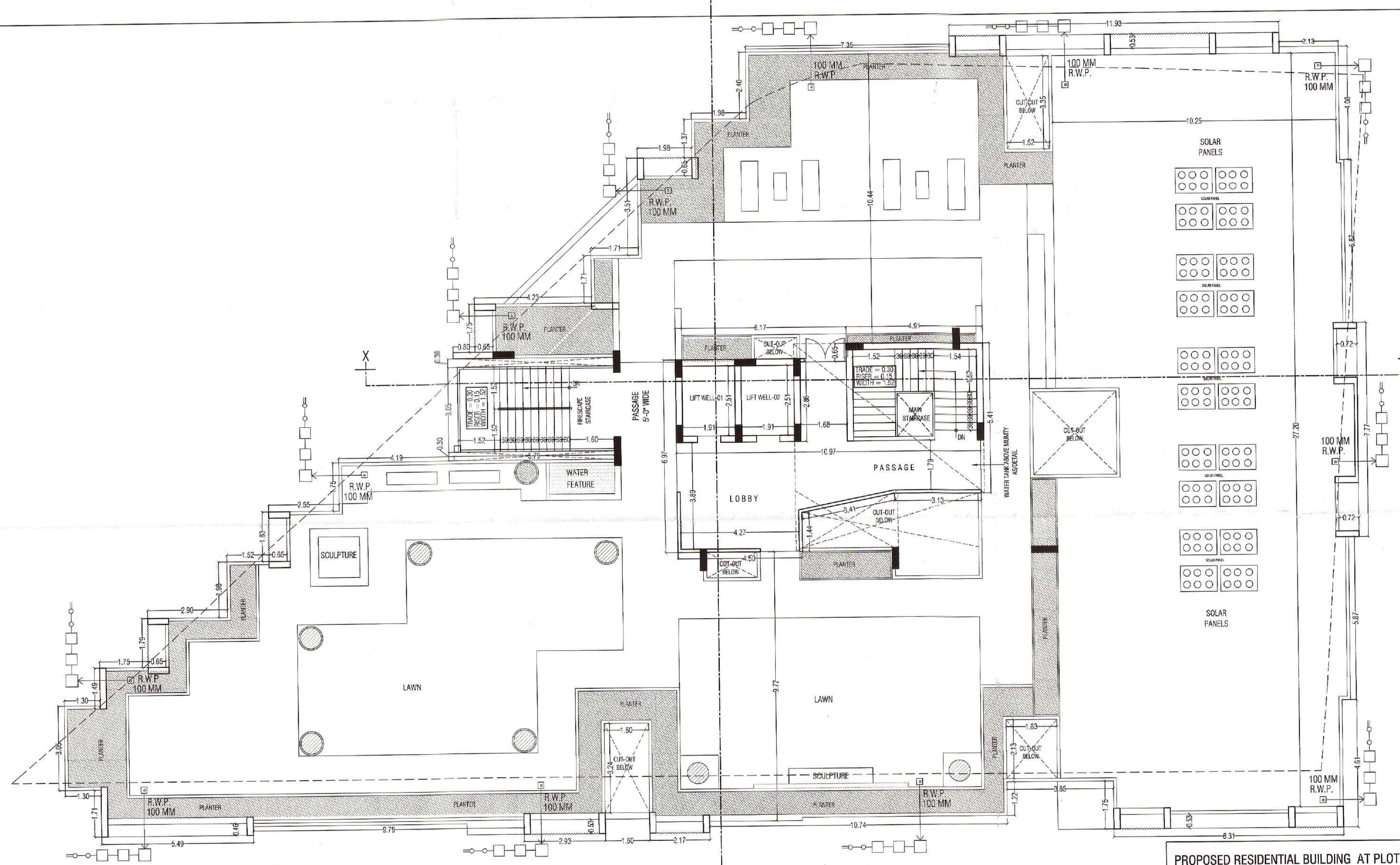

"जारी किये गये अनुमोदित मानचित्रों में दर्शाये गये भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE) का दायित्व प्रार्थी का ही होगा।"

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी भांति प्रश्नगत भूमि/भूखण्डों के प्रति स्वामित्व का प्रमाण पत्र नहीं माना जायेगा और न ही इसमें किसी प्रकार के स्वामित्व सम्बन्धी अधिकार ही प्रमाणित होगें।

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल पार्किंग हेतु किया जायेगा।

Rain Water Harversting Units shall be proveded as per rules

अनुमोदित

TERRACE FLOOR PLAN

FIRE SAFETY PROVISIONS SHALL BE KEPT AS PER NATIONAL BUILDING CODE

विद्युत सेवा, नलकारी एवं जल, मल विकास सेवाएँ नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के उपबंधो के अनुसार की जावेगी।

THESE PLANS ARE VALID ONLY UPTO SEVEN YEARS FORM DATE OF ISSUE

Adepuate Light and Ventilation to ne provided as pr N.B.C Norms

Building Plan approved in Complience of the decison taken b B.P.C. in the meeting Dt.......14/06/2021....

यह मानचित्र पत्र क्रं....3598 दि. 18/2/22 के द्वारा जारी किये गये।

सहायक नगर नियोजक नगर निगम जयपुर हैरिटेज

3/1/2022
अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक नगर निगम जयपुर, हैरिटेज

उपायुक्त (आयोजना) नगर निगम जयपुर हैरिटेज

PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING AT PLOT NO. C-33 AT MALVIYA MARG C-SCHEME,JAIPUR.	
SUBMISSION DRAWING SCALE :- 1 : 100	NORTH:- N
DRAWING TITLE - 9TH FLOOR & TERRACE FLOOR PLAN	
OWNER	ARCHITECT ASHOK MISHRA Ph. 2229771 B.Arch., M.C.A. C.A./91/13916 95, Shivaji Nagar, Civil Lines JAIPUR

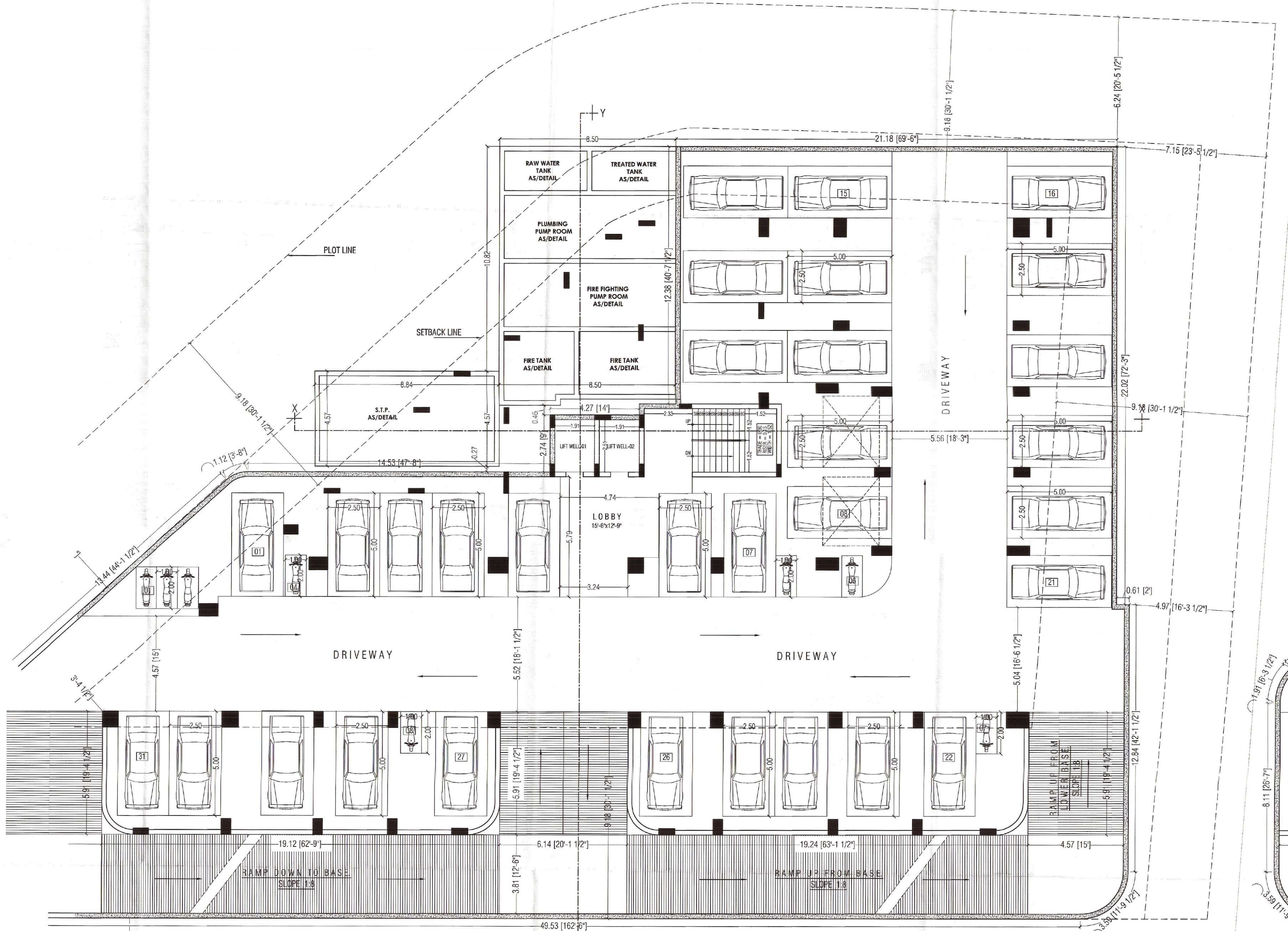

UPPER BASEMENT PARKING PLAN

CAR PARKING = 31 CAR = 31 E.C.U.

SCOOTER PARKING = 8 SCOOTERS = 2.66 E.C.U.

"जारी किये गये अनुमोदित मानचित्रों मे दर्शाये गये भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE) का दायित्व प्रार्थी की ही होगा।"

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी भांति प्रश्नगत भूमि/भूखण्डों के प्रति स्वामित्व का प्रमाण पत्र नहीं माना जावेगा और न ही इसमें किसी प्रकार के स्वामित्व सम्बन्धी अधिकार ही प्रमाणित होगें।

THESE PLANS ARE VALID ONLY UPTO SEVEN YEARS FORM DATE OF ISSUE

Adepuate Light and Ventilation to ne provided as pr N.B.C Norms

FIRE SAFETY PROVISIONS SHALL BE KEPT AS PER NATIONAL BUILDING CODE

विद्युत सेवा, नलकारी एवं जल, मल विकास सेवाएँ नेशनल बिल्डिंग कॉड ऑफ इण्डिया के उपबंधो के अनुसार की जावेगी।

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल पार्किंग हेतु किया जावेगा।

Rain Water Harversting Units shall be proveded as per rules

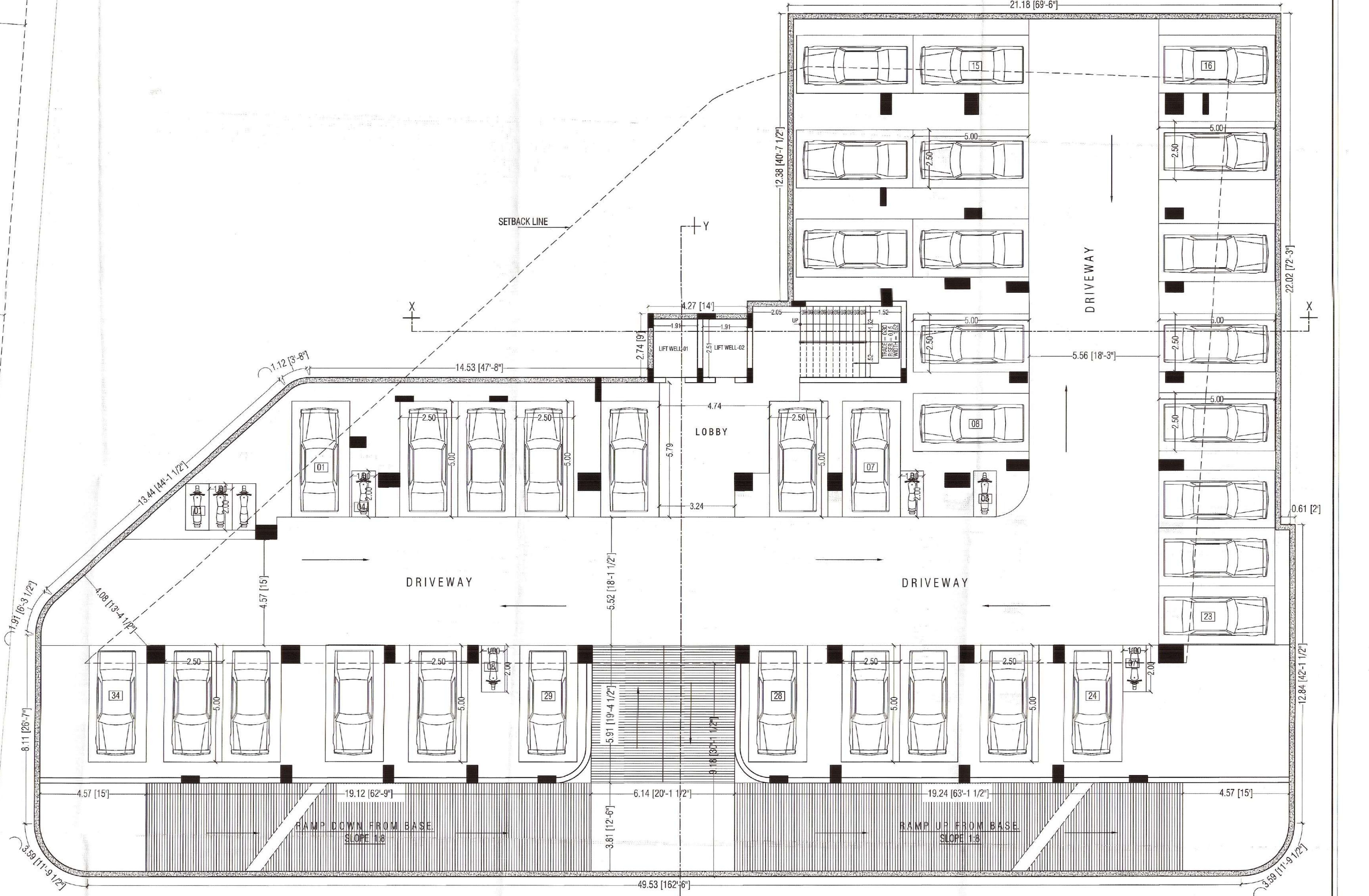

LOWER BASEMENT PARKING PLAN

CAR PARKING = 34 CAR = 34 E.C.U.

SCOOTER PARKING = 8 SCOOTERS = 2.66 E.C.U.

अनुमोदित

Building Plan approved in Complience of the decison taken b B.P.C. in the meeting Dt....14/06/2021......

मानचित्र पत्र क्रं ....3598... दि 18/02/22 के द्वारा जारी किये गये।

सहायक नगर नियोजक नगर निगम जयपुर हैरिटेज

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक नगर निगम जयपुर, हैरिटेज

उपायुक्त (आयोजना) नगर निगम जयपुर हैरिटेज

PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING AT PLOT NO. C-33 AT MALVIYA MARG C-SCHEME,JAIPUR.	
SUBMISSION DRAWING SCALE :- 1 : 100	NORTH:- N
DRAWING TITLE - BASEMENT FLOOR PARKING PLANS	
OWNER	ARCHITECT ASHOK MISHRA Ph. 2229771 B.Arch., M.C.A. C.A./91/13916 95, Shivaji Nagar, Civil Lines JAIPUR

SHEET NO. - 05

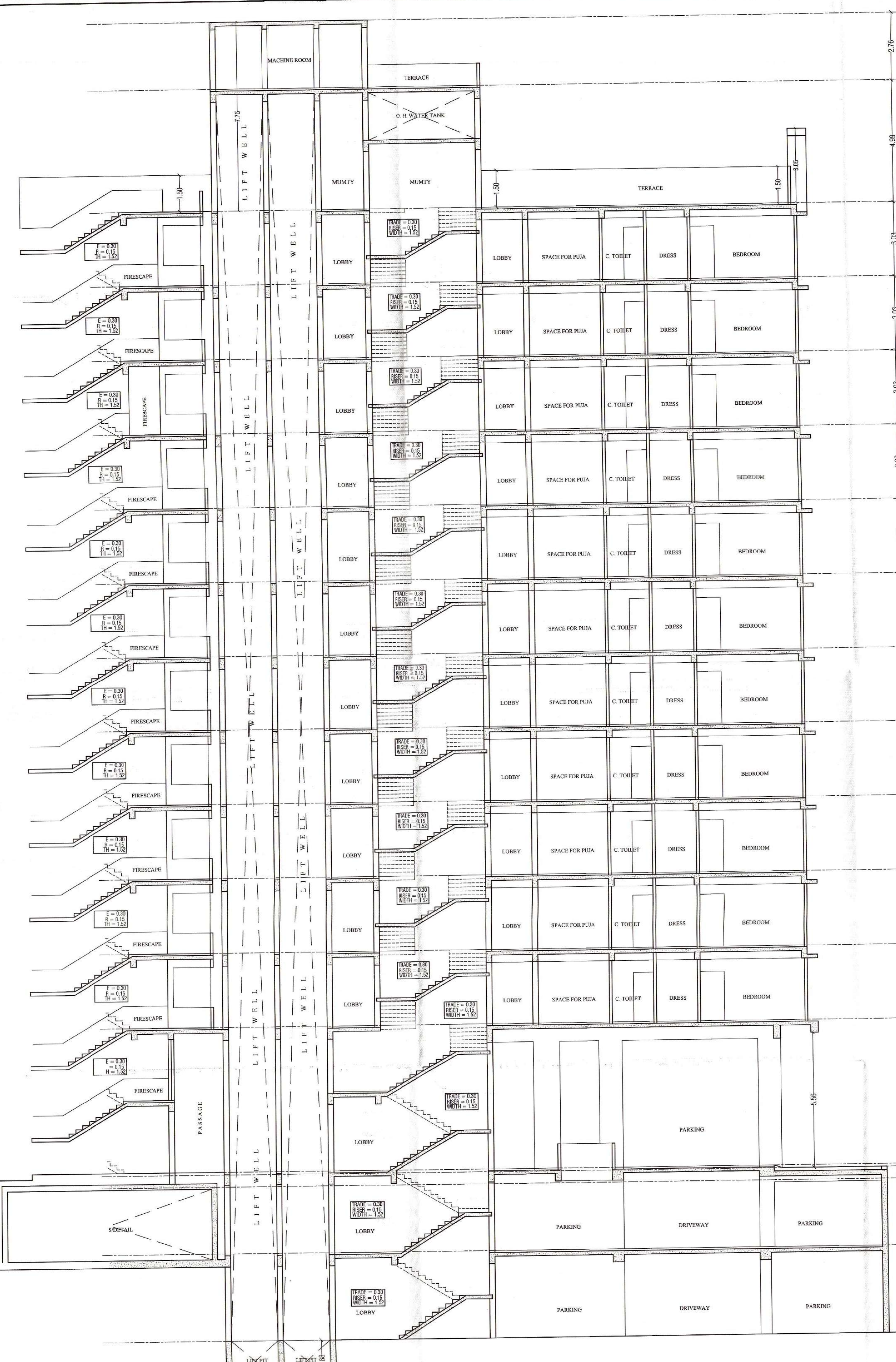

SECTION AT X-X

SECTION AT Y-Y

EAST / RIGHT SIDE ELEVATION

Adepuate Light and Ventilation to ne provided as pr N.B.C Norms

"जारी किये गये अनुमोदित मानचित्रों में दर्शाये गये भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE) का दायित्व प्रार्थी की ही होगा।"

FIRE SAFETY PROVISIONS SHALL BE KEPT AS PER NATIONAL BUILDING CODE

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी भांति प्रश्नगत भूमि/भूखण्डों के प्रति स्वामित्व का प्रमाण पत्र नहीं माना जायेगा और न ही इसमें किसी प्रकार के स्वामित्व सम्बन्धी अधिकार ही प्रमाणित होगें।

विद्युत सेवा, नलकारी एवं जल, मल विकास सेवाऐं नेशनल बिल्डिंग कॉड ऑफ इण्डिया के उपबंधो के अनुसार की जावेगी।

THESE PLANS ARE VALIO ONLY UPTO SEVEN YEARS FORM DATE OF ISSUE

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल पार्किंग हेतु किया जावेगा।

Rain Water Harversting Units shall be proveded as per rules

अनुमोदित

Building Plan approved in Complience of the decison taken b B.P.C. in the meeting Dt....14/06/2021....

यह मानचित्र पत्र क्रं. 3598 दि. 18/02/22 द्वारा जारी किये गये।

सहायक नगर नियोजक
नगर निगम जयपुर हैरिटेज

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
नगर निगम जयपुर, हैरिटेज

उपायुक्त (आयोजना)
नगर निगम जयपुर हैरिटेज

PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING AT PLOT NO. C-33 AT MALVIYA MARG C-SCHEME,JAIPUR.	
SUBMISSION DRAWING SCALE :- 1 : 100	NORTH:- N
DRAWING TITLE - SECTIONS & ELEVATION	
OWNER	ARCHITECT ASHOK MISHRA Ph. 2229771 B.Arch., M.C.A. C.A./91/13916 95, Shivaji Nagar, Civil Lines JAIPUR

NORTH SIDE ELEVATION

WEST SIDE ELEVATION

अनुमोदित

Building Plan approved in Complience of the decison taken b B.P.C. in the meeting Dt....14/06/2021.....

यह मानचित्र पत्र क्रं....3598
दि.18/02/22 द्वारा जारी किये गये।

सहायक नगर नियोजक
नगर निगम जयपुर हैरिटेज

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
नगर निगम जयपुर, हैरिटेज

उपायुक्त (आयोजना)
नगर निगम जयपुर हैरिटेज

FIRE SAFETY PROVISIONS SHALL BE KEPT AS PER NATIONAL BUILDING CODE

Adepuate Light and Ventilation to ne provided as pr N.B.C Norms

Rain Water Harversting Units shall be proveded as per rules

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी भांति संबंधित भूमि/भूखण्डों के प्रति स्वामित्व का प्रमाण पत्र नहीं माना जायेगा और न ही इससे किसी प्रकार के स्वामित्व सम्बन्धी अधिकार ही प्रमाणित होगें।

"जारी किये गये अनुमोदित मानचित्रों में दर्शाये गये भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE) का दायित्व प्रार्थी का ही होगा।"

विद्युत सेवा, नलकारी एवं जल, मल विकास सेवाएँ नेशनल बिल्डिंग कॉड ऑफ इण्डिया के उपबंधो के अनुसार की जावेगी।

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल पार्किंग हेतु किया जावेगा।

THESE PLANS ARE VALID ONLY UPTO SEVEN YEARS FORM DATE OF ISSUE

PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING AT PLOT NO. C-33 AT MALVIYA MARG C-SCHEME,JAIPUR.	
SUBMISSION DRAWING SCALE :- 1 : 100	NORTH:- N
DRAWING TITLE - ELEVATONS	
OWNER	ARCHITECT ASHOK MISHRA Ph. 2229771 B.Arch., M.C.A. C.A./91/13916 95, Shivaji Nagar, Civil Lines JAIPUR

SECTION AT Y-Y'

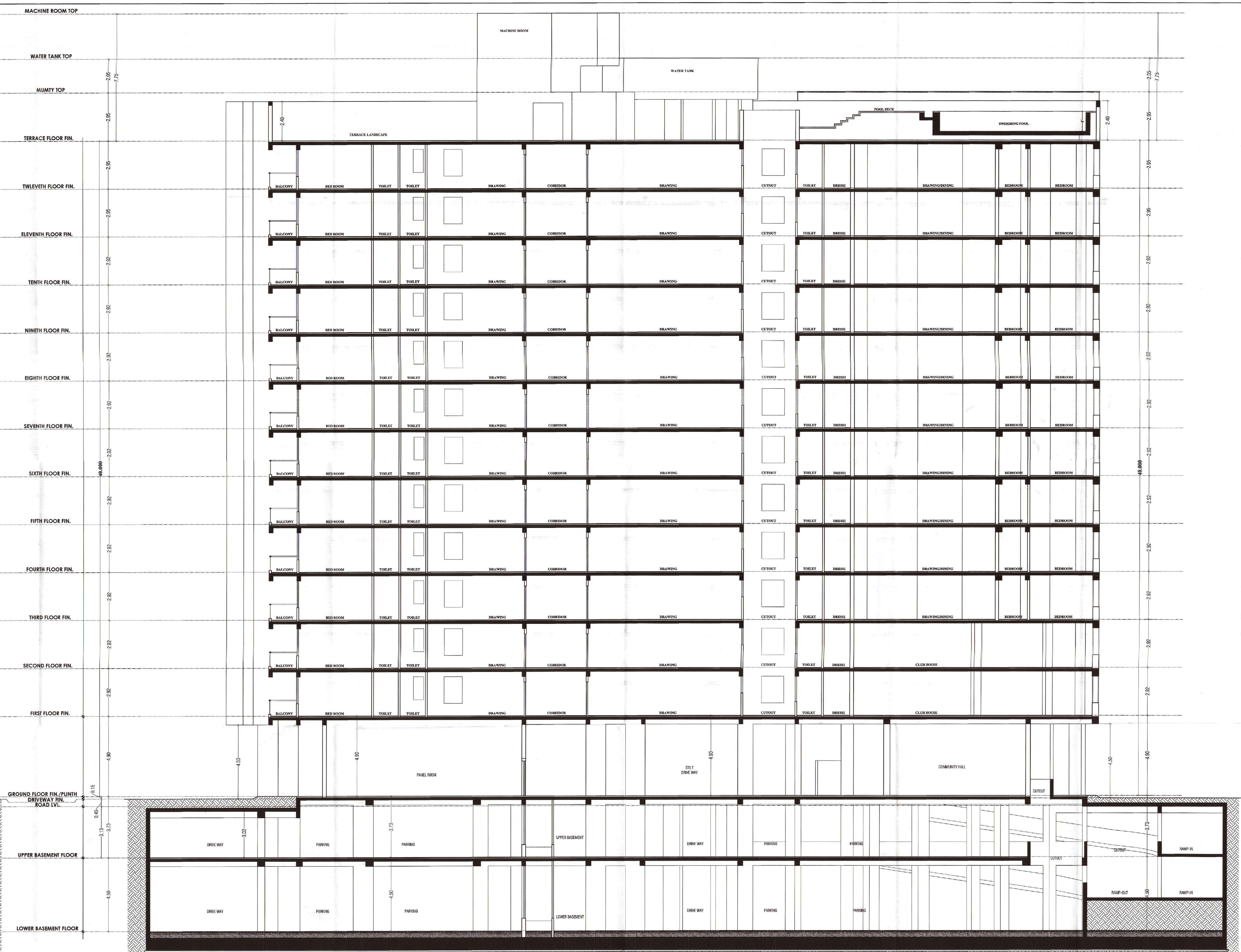

SECTION AT X-X'

SHEET NO. - 07

अनुमोदित

Building Plan approved in Complience of the decison taken b B.P.C. in the meeting Dt....14|06|2021....

यह मानचित्र पत्र क्रं....3599.... दि.18|02|22 द्वारा जारी किये गये।

सहायक नगर नियोजक
नगर निगम जयपुर हैरिटेज

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
नगर निगम जयपुर, हैरिटेज

उपायुक्त (आयोजना)
नगर निगम जयपुर हैरिटेज

FIRE SAFETY PROVISIONS SHALL BE KEPT AS PER NATIONAL BUILDING CODE

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी भांति प्रश्नगत भूमि/भूखण्डों के प्रति स्वामित्व का प्रमाण पत्र नहीं [illegible] और न ही इससे किसी प्रकार के स्वामित्व सम्बन्धी अधिकार ही प्रमाणित होगें।

THESE PLANS ARE VALID UPTO SEVEN YEARS FROM DATE OF ISSUE

Adepuate Light and Ventilation to no provided as pr N.B.C Norms

विद्युत सेवा, नलकारी एवं जल, मल विकास सेवाएँ नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के उपबंधो के अनुसार की जावेगी।

"जारी किये गये अनुमोदित मानचित्रों में दर्शाये गये भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE) का दायित्व प्रार्थी की ही होगा।"

Rain Water Harversting Units shall be proveded as per rules

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल पार्किंग हेतु किया जावेगा।

PROPOSED RESIDENTIAL APARTMENT AT KHASARA NO. 26/1 (OLD) 26/326 (NEW) VILLAGE BASSI SITARAMPURA ON JHOTWARA ROAD, NEAR AMBABARI BRIDGE JAIPUR

DRAWING TILTE:-
MUNICIPAL DRAWING SECTION (SHEET-7)

DEVELOPER & PROMOTERS:-
TRIMURTY'S BUILDCON PVT. LTD.

ARCHITECT:
MISHRA GARG & ASSOCIATES
ARCHITECTS,PLANERS & INTERIOR DESIGNER
C-35,LAJPAT MARG,C-SCHEME,JAIPUR.
TEL. : (0141) 4023274
Email-id :- mishra.garg@gmail.com, mishra.garg@yahoo.com

NORTH:	SCALE:-
	1 : 100

For Trimurty Landcon (India) Pvt. Ltd.
Director/Auth.Sign.

ASHOK MISHRA
B.Arch., M.C.A.
C.A./91/13916
55, Shivaji Nagar, Civil Lines
JAIPUR

OWNER	ARCHITECT